आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि

03/6/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-72/2023-24

बबलु टोप्पो ..... आवेदक।

बनाम्

(1) अजय कुमार जैन,
(2) पवन कुमार अग्रवाल
(3) मेसर्स अरूण कुमार, महेन्द्र कुमार फार्म के पार्टनर
(A) अनिल कुमार लोधा
(B) प्रशान्त कुमार ..... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक राजु टोप्पो, पिता–स्व० एतवा टोप्पो, निवासी ग्राम–बाँधगाड़ी, दीपाटोली, थाना–सदर, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। जो वाके मौजा–गाड़ी, थाना नं०–194, खाता–07, प्लॉट नं०–19 एवं 20 एवं कुल रकबा–172 डीसमील पर आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षीगण (1) अजय कुमार जैन, (2) पवन कुमार अग्रवाल एवं (3) मेसर्स अरूण कुमार, महेन्द्र कुमार फार्म के पार्टनर (A) अनिल कुमार लोधा (B) प्रशान्त कुमार ने छल प्रपंच कर जमीन को हड़प लिये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
गाड़ी	194	07	19	80 डी०
			20	92 डी०
कुल रकवा				172 डी०

Mi 3/6/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक का कहना है कि यह मेरी खतियानी जमीन है, खतियान में एतवा उराँव वल्द डेपो उराँव का नाम दर्ज है। इन्होंने शपथ पत्र के वंशावली में खतियानी रैयत दिखाए हैं। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा विपक्षी से कारणपृच्छा की माँग की गई।

विपक्षीगण ने कारण पृच्छा दाखिल किया है, जिसमें इन्होंने कहे है कि खतियानी रैयत एतवा उराँव के पुत्र विशु उराँव एवं शनिचरवा उराँव ने उपायुक्त, राँची के न्यायालय में एक विविध वाद दायर किया, जिसका वाद संख्या–103 R811/1964-65 है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत अनुमति प्राप्त कर जमीन को निबंधित पट्टा से मेसर्स श्री अरूण कुमार, महेन्द्र कुमार को वर्ष 1965 में बेच दिये जिसका बुक–1, वोल्युम–16, पेज–558 से 564, डीड नं०–2439, वर्ष–1965 है, जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है, बिक्री के बाद दाखिल–खारिज करवाकर फैक्ट्री बिल्डींग एवं शेड का निर्माण कर लगातार 1965 से दखल कब्जा के साथ कारखाना चलाने लगे। इसके बाद अरूण कुमार एवं महेन्द्र कुमार ने उपरोक्त जमीन को अजय कुमार जैन एवं पवन कुमार जैन को निबंधित पट्टा से वर्ष–2021 में बेच दिये, जिसका रजिस्टर्ड डाक्युमेंट नं०–2021/RAN/7135/BK1/6428 और बुक–1, वोल्युम–852, पेज–173 से 306, है जो अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है, खरीदने के बाद बड़गाई, अंचल में अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवा लिये, जिसका दाखिल–खारिज वाद संख्या–1864/R27/2021-22 है और इसके बाद से लगातार मालगुजारी रसीद अपने नाम पर देते आ रहे है। राँची नगर निगम, राँची में भी होल्डींग टैक्स दे रहें है तथा उपरोक्त जमीन पर दखल–कब्जा भी है। विपक्षीगण कारण पृच्छा के साथ अपनी सभी कागजात भी दाखिल किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना, साथ में लिखित बहस भी दाखिल किये, लिखित बहस में कहें है कि, एतवा उराँव की खतियानी जमीन है और एतवा उराँव के पुत्र विशु उराँव एवं शनिचरवा उराँव ने उपायुक्त, राँची के न्यायालय में

13/6/24

वाद दायर किया जिसका वाद संख्या–103 R811/1964-65 है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49, के अंतर्गत जूता कारखाना खोलने की अनुमति मिलने के बाद मेसर्स श्री अरूण कुमार, एवं महेन्द्र कुमार, को वर्ष 1965 में जमीन बेच दिये निबंधित पट्टा से जो अवर निबंधन कार्यालय में निबंधित है। जिसका डीड नं०–2439 है।

आवेदक के वंशज द्वारा पूर्व में न्यायालय ओनिल क्लेमेंट ओड़ेया, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के न्यायालय S.A.R वाद सं०–288/2006–07 एवं 330/2007–08 में वाद लाया गया, दोनों वाद को संयुक्त रूप से चलाया गया। जिसमें आवेदकगण राजु टोप्पो वगै० बनाम विपक्षीगण अरूण कुमार वगै० है। इस वाद में कई Citation दाखिल किये है जो इस प्रकार है, **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीटू साहु एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार Reported in 2004 (4) JCR(SC); 2004 (4) JLJR 109 के फैसले में स्पष्ट उल्लेख किया है कि That the test is not whether the period of limitation prescribed in 1963 Act has expired but whether the power under section 71 A of the CNT Act was sought to be exercised after unreasonable delay and the lapse of 40 years certain by not reasonable time for exercise of power. इसके अलावा विपक्षी के द्वारा (1) JCR 2003(3) 492 JHR Niranjan Mahli and other's Vs State of Bihar & Other's (1) JCR 2003(4) 232 (JHR) Mahto Munda Vs State of Bihar and Other's के फैसले का हवाला दिये है, चुंकि यह वाद 41 साल वाद लाया गया था, इस आधार पर आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया है।**

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा लिखित बहस भी दाखिल किये इसमे में कहें है कि यह मामला कालबाधित एवं Res-Judicata के अंतर्गत आता है, तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 71 "A" के अंतर्गत कालबाधित है तथा इस संबंध में विपक्षीयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के कई Citation दाखिल किये, जो ये है **BLT 1990 Page no. 352 Rajendra Nath Kapoor Vs. State Bihar, another ruling Situ Sahu and others Vs. State of**

Mi 13/6/24

Jharkhand 2004 volume 4, JCR 2003 (4) 232 Mahto Munda Vs. State of Bihar and on the point limitation.

That the opposite party also rely upon the ruling reported in :-

(a) 2001 (1) JCR 229 (SC): (2000) 5 SCC 141 "Jai Mangal Oraon Vs. Smt, Mira Nayak and others (Supreme court);" " on the point of Limitation,"

(b) 1992 (2) BLJR 986 "Bukan Ansari and other Vs State of Bihar" on the point of Limitation

(c) "Mansa Ram Manjhi Vs State of Jharkhand" and ruling reported in on the point of Limitation.

(d) 2004 (1) JCR 107 (Jhr): "Bibi Makho & other Vs State of Bihar & others on the point of "Res Judicata"

(e) 2002 (3) JCR 446 " Dr. Krishna Deo Narain Agarwal and other Vs State of Bihar" on the point of "Res Judicata"

(f) 2004 (1) JCR 237 "Gadin Oraon and other Vs. State of Jharkhand & others". on the point of " Res Judicata".

अतः दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं दाखिल कागजात तथा पूर्व के S.A.R वाद संख्या–288/2006–07 एवं 330/2007–08 को देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह वाद कालबाधित एवं Res Judicata के अंतर्गत है। यह वाद छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 "A" के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है, अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

13/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.07 17:06:39 +05:30
Location: 192.168.51.39